रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

सेवा में,

प्रबन्धक,
अल आसिम एजूकेशनल एकेडमी, गजरौला,
जनपद–अमरोहा।

पत्रांकः मा०शि०प०/मान्यता/ 494-98 दिनांक : 15-05-23

विषयः सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 06 से 10 तक) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 (यथा संशोधित 2022) की धारा–7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था **अल आसिम एजूकेशनल एकेडमी, गजरौला, जनपद–अमरोहा** को **बालक** विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष **2025** से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा–7कक के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:–

नोटः– **विद्यालय की उपरोक्त मान्यता अंग्रेजी माध्यम से पठन–पाठन हेतु प्रदान की जा रही है।**

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा–9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ०प०उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।

(घ) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात् मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्थाओं के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे और तदनुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ड़) प्रदत्त मान्यता विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य में पारित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध योजित क्लेरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

पृष्ठांकन सं०: मा०शि०प०/मान्यता/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, **अमरोहा**।
2– संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुरादाबाद**।
3– हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, **बरेली**।
4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, **प्रयागराज**।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली